नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बधवार, 29 नवंबर 2023

डीडीए की दूसरे फेज़ की स्कीम 30 नवंबर को होगी लॉन्च

## पहली बार ई-ऑक्शन में बिकेंगे DDA के पेटहाउस और फ्लैट

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

रवेन्यू बढ़ाने के लिए डीडीए अब काफी नए तरीके आजमा रहा है। इस बार वह दूसरे चरण में शामिल 2000 से अधिक फ्लैट का ई-ऑक्शन करेगा। 30 नवंबर से यह स्कीम लॉन्च होगी। इस स्कीम में द्वारका सेक्टर-19 बी के बने डीडीए कॉम्प्लेक्स में 14 फेंटहाउस, 170 सुपर एचआईजी और 946 एचआईजी फ्लैट्स शामिल है। इसके अलावा इसी स्कीम में द्वारका सेक्टर-14 में बने 316 एमआईजी और लोकनायकपुरम में बने 647 एमआईजी फ्लैट्स भी शामिल है। इस ऑक्शन में शामिल होने के लिए लोगों को ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) के तहत 10 लाख से 25 लाख रुपये जमा करवाने होंगे।

डीडीए के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होगी और यह 29 दिसंबर को शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 5 जनवरी 2024 से ऑनलाइन ई-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फ्लैंट के हिसाब से इसका शेड्युल बाद में जारी किया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोग स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2500 रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए आवेदक को अपने फ्लैट के अनुरूप ऑनलाइन ही ईएमडी जमा करवानी होगी। यह ईएमडी फ्लैट की पेमेंट में शामिल हो जाएगी। असफल बोलीदाताओं को 30 दिन में ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ई-बिड पूरी होने के बाद आवेदक उससे पीछे नहीं हट सकेगा। यदि वह ऐसा करता है, तो उसकी ईएमडी जन्त हो जाएगी। पेंटाहाउस के लिए बोली दो लाख के गुणा में, सुपर एचआईजी के लिए डेढ़ लाख, एचआईजी के लिए एक लाख और एमआईजी के लिए 50 हजार के गुणा में वेलिड होंगी। डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जारी होने के 60 दिनों के अंदर आवेदक को फ्लैट की कीमत देनी होगी। इसके बाद 30 दिन का एक्स्ट्रा यहम आवेदक को मिल सकता है। लेकिन इसमें अलॉटी को 10 प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा। स्क्रीम चलने के दौरान लोग साइटों पर जाकर सैपल फ्लैट देख सकते हैं। यहां उनके लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डीडीए के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो

उन्हें फ्लैटस के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

#### कहाँ, कितने फ्लैट और कितनी है उनकी कीमतें

पलैट	एरिया	रिज़र्व प्राइस	<b>ड अब</b>
14	424.767 वर्ग मीटर	₹5.01 करोड़	रेवेन्यू बढ़ाने
170	211.657 वर्ग मीटर	₹2.50 करोड़	के लिए
946	171.5 से 186.09 वर्ग मीटर	₹2.02-₹2.19 करोड़	नए तरीके
316	116.27 से 132.35 वर्ग मीटर	₹1.25-₹1.42 करोड़	आजमा रहा
647	134.259 से 140.455 वर्ग मीटर	₹1.15-₹1.20 करोड़	B DDA
	14 170 946 316	170 211.657 वर्ग मीटर 946 171.5 से 186.09 वर्ग मीटर 316 116.27 से 132.35 वर्ग मीटर	14     424.767 वर्ग मीटर     ₹5.01 करोड़       170     211.657 वर्ग मीटर     ₹2.50 करोड़       946     171.5 से 186.09 वर्ग मीटर     ₹2.02-₹2.19 करोड़       316     116.27 से 132.35 वर्ग मीटर     ₹1.25-₹1.42 करोड़

#### इतनी ईएमडी जमा करवानी होगी

एमआईजी(28HK) ₹10 लाख एचआईजी (38HK) ₹15 लाख सुपर एचआईजी (48HK) ₹20 लाख पेटहाउस (58HK) ₹25 लाख

डीडीए को उम्मीद है कि
ई-ऑक्शन से उसे 2030% तक अधिक कीमत
मिल सकती है



 18 साल से ऊपर के लोग डीडीए की इस ई-ऑक्शन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं

### 28 ई-ऑक्शन के लिए

जनवरी

2024

28 ई-ऑक्शन के लिए नवंबर हेल्पडेस्क 30 ईएमडी जमा करवाने नवंबर की प्रकिया शुरू 29 रिजस्ट्रेशन और ईएम

रजिस्ट्रेशन और ईएमडी जमा करने की लास्ट डेट (शाम 6 बजे तक) ऑनलाइन ई-ऑक्शन

ऑनलाइन ई-ऑक्शन कब से शुरू होंगे, बाद में जारी होगा शेड्यूल



### Cens

#### क्या DDA अपने घाटे को प्रॉफिट में बदल पाएगा?

समक्षिए खबरों के अंदर की बात डीडीए ने सुपर लम्जरी फ्लैट में रेवेन्यू कमाने का एक मौका देखा है। पहली बार इन फ्लैट्स के लिए ई-ऑक्शन किया जा रहा हैं। दरअसल डीडीए के फ्लैट्स लंबे समय

सें बिक नहीं रहे हैं। इसकी वजह से डीडीए की आर्थिक हालत भी कमजोर हो रही है। 2022 में एलजी ती. के. सक्सेना ने द्वीट किया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान डीडीए की आमदनी 3,578.69 करोड़ की है। वहीं, कुल खर्च 6,787.83 करोड़ का है। यानी डीडीए 3209,14 करोड़ के घाटे में है। इतना ही नही 2016-17 से 2021-22 के तैरान डीडीए पर 8915 करोड़ की लोन देनदारी भी है। द्वीट में लिखा गया कि डीडीए राजधानी के सबसे महंगे और बड़े रियल एस्टेट का मालिक है, लेकिन कुप्रबंधन की वजह से उसके आर्थिक हालात खराब हो गए है। इसके बाद से डीडीए ने फ्लैट्स का बैकलॉग क्लीयर करने के लिए कई नए तरीके अपनाए है। इनमें डीडीए को कुछ सफलता भी मिली है। हाल ही में डीडीए ने फ्लैट्स की मांग बढ़ाने के लिए कसलटेट भी रखा है, जीपडीडीए को हाउसिंग स्कीम की सफल बनाने का एजेडा देगा।

दिल्ली : महानगर : महाकवरेज

www.delhi.nbt.in

दिलशाद कॉलोनी। हरि नगर। संगम विहार। पालम् कॉलोनी। रोहिणी। सिविल लाइंस। लाजपत नगर। विकासपुरी। शास्त्री नगर। गाँउन टाउन। गाँची नगर। ग्रीन पार्क। विश्वास नगर। साउच एक्स। जनकपुरी। कोटला नुवारकपुर। छळ्छुपर। साकेत। उत्तम नगर। पीतनपुरा। विलक्तनगर। विकासपुरी। शास्त्री नगर। गाँउन टाउन। गाँची नगर। ग्रीन पार्क।

## 8 दिन की अफरातफरी खत्म, रजिस्ट्री पर रेरा ने दी राहत

रेरा ने मंगलवार शाम वापस लिया 19 सितंबर

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

राजघानी दिल्ली में रेरा के नए आदेशों के बाद मचे कन्फ्यूजन के बाद मंगलवार को इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा मोड़ आया। रेरा दिल्ली ने 19 सितंबर को जारी अपने यह आदेश तुरंत प्रभाव से वापस ले लिए हैं। जल्द ही रेरा इस संदर्भ में एक नया आदेश जारी करेगा। रेरा चेयरमैन आनंद कमार ने इसकी पष्टि की। NBT ने रेस द्वारा जारी किए गए नए आदेश के बाद लगातार महिम चलाई थी। इसके लिए हमने दिल्ली के लोगों से रजिस्टी संबंधी किसी भी जानकारी को हल करने के लिए सवाल लिए थे। हमारे पास लगातार लोगों के काफी सवाल आए। हमने इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट से लेकर लोगों के कन्पयुजन को बहुत हद तक दूर भी किया।

बहरहाल, रेरा चेयरमैन आनंद कुमार ने NBT को बताया कि रेरा पब्लिक के हितों के लिए काम करती है। साथ ही वह नियमों के मताबिक ही काम करती है। इन आदेशों के बाद लोगों व विभागों ने इसे अपने अपने तरीके से लेना शरू कर दिया था। इसकी वजह से पब्लिक को काफी अधिक परेशानी हो रही थी। इसी वजह से इन आदेशों को वापस लिया गया है। जल्द ही इसे लेकर एक नए आदेश जारी किए जाएंगे। इससे पूर्व मंगलवार को एलजी वी के सक्सेना ने राज निवास में रेरा चेयरमैन व अधिकारियों के साथ एक वार्ता की। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव व डिविजनल कमिश्नर भी शामिल हुए। एलजी ने बताया कि आदेश आने के बद से सांसद, विधायक, पार्षद के साथ लोग उनसे काफी शिकायतें कर रहे हैं। मुख्य सचिव व डिविजल कमिश्नर ने बताया कि इन आदेशों की वजह से सेल डीड की रजिस्ट्री करवाने में लोगों

को काफी अधिक परेशानियां आ रही हैं।

रेग के इन आदेशों के बाद 20 नवंबर से ही दिल्ली के सभी सब डिविजनल ऑफिसों में रजिस्टियों के लिए रेस आदेशों के तहत लोगों से नक्यो मांगे जा रहे थे। नक्या नहीं होने की वजह से उनका काम रुका हुआ था। अधिकारियों के अनुसार इन आदेशों की वजह से राजधानी की

करीब 50 से 70 प्रतिशत बिल्डिंग में जरूरत से अधिक फ्लैट बने थे। इसके बाद से ही लोगों में हड़कंप मचा था। उन्हें अपने मकानों को लेकर डर था। NBT 21 नवंबर से ही इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है। एनबीटी ने लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल भी बनाया था। इस एक्सपर्ट पैनल में डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए के जैन और स्कूल

एक से दो दिन में फिर से शुरू होगी रजिस्ट्री, को जारी अपना फैसला | पिछले ८ दिनों से थी बंद

लोगों में था डर, दिल्ली के करीब 50 प्रतिशत फ्लैटों में टूट रहे हैं नियम

हजारों रीडर्स ने एनबीटी को भेजे सवाल, एक्सपर्ट्स ने दिए जवाब



NBT ने लोगों से रजिस्टी संबंधी किसी भी जानकारी को हल करने के लिए सवाल लिए थे। हमारे पास लगातार लोगों के काफी सवाल आए। हमने इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट से लेकर लोगों के कन्पयूजन को बहुत हद तक दूर भी किया

 रेरा के आदेशों के बाद 20 नवंबर से ही दिल्ली के सभी सब डिविजनल ऑफिसों में रजिस्ट्रि के लिए रेरा आदेशों के तहत लोगों से नक्से मांगे जा रहे थे

 नक्शा नहीं होने की वजह से लोगों का काम रुका हुआ था

रेरा ने तर्क दिया था कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि साल 2008 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए

रेरा अधिकारियों से मिलकर एलजी ने की थी अपील

 विशेष संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली रेग ने सुप्रीम कोर्ट के 2008 के नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए, इसके बाद से लोग घर और जमीन की रजिस्टी को लेकर भारी कन्पयूजन में हैं। मंगलवार

को एलजी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए रेग चेयरमैन और अधिकारियों के साथ मीटिंग की और रेरा को आदेशों पर दोबारा से विचार करने का अनुरोध किया। एलजी ऑफिस से मिली



जानकारी के अनुसार एलजी वी.के. सबसेना के पास इन आदेशों के बाद कई शिकायतें आ रही थीं। दिल्ली के एमपी, एमएलए, पाषंद, सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आम लोग भी काफी संख्या में उनसे इसे लेकर शिकायतें कर रहे हैं। 19 सितंबर को रेरा के नए आदेश आए थे। जिसमें सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2008 के आदेशों पर अमल करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर एलजी ने मंगलवार को रेग के चेयरमैन और सदस्यों के साथ राज निवास में मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली के चीफ सेक्नेटरी और डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि लोग इसकी वजह से काफी परेशानी झेल रहे हैं। इसके बद एलजी ने रेग अधिकारियों से इन आदेशों पर दोबारा विचार करने की अपील की है। इस बीच दिल्ली बोजेपी ने अधिसूचना वापस लेने के एलजी को धन्यवाद दिया है।

ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डीन प्रफेसर पी एस एन व खामियां मिली थीं। राव शामिल थे। वहीं लोगों के सवाल के लिए हेल्पलाइन जारी की। एक्सपर्ट ने उनके वाजिब जवाब दिए।

दरअसल राजधानी में लोगों ने 200 गज की जगह में 20 फ्लैट तक बनाए हुए हैं। इन आदेशों के पीछे रेग ने तर्क दिया था कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि साल 2008 के

सप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। उनके पास रजिस्टेशन के लिए आए कुछ प्रोजक्ट में उन्हें यह खामियां मिली थीं। जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि बिल्डर नक्शे में तो मानकों के अनरूप फ्लैट दिखाते हैं, किचन की

जगह वह पैद्री या स्टोर दिखाते हैं। बाद में फ्लैट बेचते समय वह स्टोर आदि की जगह किचन बनाकर पूरा फ्लैट की शक्ल दे देते हैं और उसे लोगों को बेच देते हैं। दिल्ली रेग ने एमसीडी, दिल्ली कैंट बोर्ड, एनडीएमसी, डीडीए को यह निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर फ्लैट को एक नंबर देने की बात थी। रेरा को ग्रेटर कैलाश, पंजाबी एक हफ्ते में इन आदेशों की वजह से रेवेन्य का काफी बाग, पंचशील, उत्तम नगर आदि में इस तरह की शिकायतें नुकसान हुआ है।

इन आदेशों के बाद लोग जहां अपनी जमीन में बने फ्लैट्स को लेकर डरे हुए थे वहीं जो लोग अपनी जमीन पर फ्लैट बनाने की तैयारियां कर चुके थे वह भी डर गए थे। बिल्डर लॉबी में इन आदेशों की वजह से काफी अधिक शोर था। इसकी वजह से दिल्ली का प्रॉपर्टी बाजार भी कई दिनों तक थमा रहा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त लगभग रुक गई थी। लोगों ने NBT से जो सवाल पूछे उसमें कई ऐसे थे कि वह उक्त प्रॉपर्टी की डील कर चुके हैं, अब उन्हें इसे खरीदना चाहिए या नहीं। लोगों के जहन में यह सवाल भी ये कि वह अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे या नहीं। अब देखना यह होगा कि रेरा के आदेशों के बाद रजिस्टी कब से शरू होती है। अधिकारियों के अनुसार बधवार या गुरुवार से सभी सब रजिस्टार ऑफिस में रजिस्टियां शुरू हो सकती हैं। दिल्ली में कुल 29 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं। इन सभी में सेल डीड की रजिस्ट्री का काम लगभग रुक सा गया था। 2021 में राजधानी में 1.1 लाख सेल डीड और 2022 में 1.26 लाख सेल डीड हुई थीं। करीब

#### अब भी बाकी हैं सवाल

क्योंकि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट 2008 के आदेशों और मास्टर प्लान 2021 में शामिल हैं? इसलिए

एक्सपर्ट यह भी सवाल उठा रहे हैं कि भले रेरा अपने आदेशों को वापस ले ले, लेकिन यह आदेश तो पहले से ही लागू हैं। मास्टर प्लान 2007 में नोटिफाई हुआ था। उसमें भी

यह नियम शामिल है। इसलिए इन पर अमल होना जरूरी है। विभिन्न एक्सपर्ट के अनुसार राजधानी में घरों की बढ़ती संख्या को रोकना जरूरी हो गया है। पानी, पाकों, सीकर सिस्टम न होने की वजह से यहां लोगों की लाइफस्टाइल दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अपूट्ड कॉलोनियों तक में हरियाली नहीं है। यहां पौधारोपण की जगह तक नहीं है। ऐसे में यदि राजधानी का विस्तार इसी तरह होता रहा तो स्थितियां और विभत्स हो जाएंगी। इस वजह से पार्किंग और सड़कों पर जाम की समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है। यह अभी बढ़ती जा रही है।

#### बिल्डरों को राहत

बिल्डरों के अनुसार राजधानी में लोगों को अफोर्डबल हाउस उपलब्ध करवाने का यही एक रास्ता है। लोग

> यहां सस्ते घरों की चाहत रखते हैं। सरकार भी अफोर्डेबल हाउसिंग को बदावा दे रही है। बिल्डर अब तक इन घनी आबादी वाली कॉलोनियों में थोड़े अधिक फ्लैट बनाकर लोगों

को 14 से 30 लाख रुपये तक में फ्लैट उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि यह आदेश लागू रहते और इन नियमों के मुताबिक फ्लैट बनाए जाते तो फ्लैट की कीमत इन कॉलोनियों में भी 30 से 70 लाख तक होगी। यह लोअर मीडल क्लास के लिए काफी मुश्किल है। इसलिए नियमों को वापस लेने से घरों का संपना सजोने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ, आंकड़ों की मानें तो दिल्ली में 50 से 70 प्रतिशव बिल्डिंगे ऐसी है जिनमें जरूरत से ज्यादा प्लैट बने थे। ऐसे में इस आदेश के बाद हड़कप मचना लाजिमी था। लेकिन, अब लोगों ने भी राहत की साख ली होगी।

NAME OF NEWSPAPERS--- नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2023 दैनिक जागरण (TED

### संकल्प यात्रा देश के समावेशी विकास के लिए सार्थक प्रयास : एलजी

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और लोगों में जागरूकता बढाने के लिए हरी झंडी दिखाकर राजधानी में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्तर पर इस यात्रा की शरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खंटी से की थी। खजरी खास में आयोजित उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों व जनता को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना,, शिक्षा और संचार (आइईसी) वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए डीडीए, बैंकों, डाक विभाग, युआइडीएआइ, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा डाक विभाग के कियोस्क भी लगाए गए थे।

उपराज्यपाल ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हुए विकसित भारत के सपने को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता, रोजगार सूजन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न



खजूरी खास में वैन को हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना व साथ में मौजूद सांसद डा . हर्षवर्घन व मनोज तिवारी 🍨 जागरण

योजना जैसी अन्य कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि संकल्प यात्रा का लक्ष्य इन योजनाओं के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकांश जनता विशेषकर कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों का जनकल्याण करना है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान शहरी निकाय, जिला प्रशासन, संबंधित मंत्रालय व संबंधित विभागों द्वारा आन-स्पाट शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सभी शहरी निकायों में पीएम व एसवीए निधि और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। वहीं जिला अधिकारी कार्यालयों में आधार शिविर लगेंगे। एलपीजी वितरण कंपनियां पीएम-उज्ज्वला शिविर लगाएंगी। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विकास विकल्प नहीं है, यह संकल्प है। इस मौके पर

#### संकल्प यात्रा का उद्देश्य

- 1- वंचितों तक लाभ पहुंचाना- उन कमजोर व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हैं. लेकिन उन्होंने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है।
- 2- योजनाओं के बारे में जानकारी और जागरूकता पैदा करना।
- 3- नागरिकों से सीखना-व्यक्तिगत कहानियों व अनुभवों को साझा करके सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करना।
- 4- यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से सभावित लाभार्थियों का नामांकन ।

सांसद डा. हर्षवर्धन, रमेश बिध्डी, प्रवेश साहिब सिंह, डीडीए के वाइस चेयरमैन सभाशीष पांडा, विधायक अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट व डीडीए के पदाधिकारी मौजूद रहे।

### भारत विकसित राष्ट्र की दहलीज पर रख चुका है कदम : बिधूड़ी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधुडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र



प्रयास से भारत विकसित राष्ट्र की दहलीज पर कदम रख चुका है। इस दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं।

रमेश बिघडी 🛎

सांसद ने कहा सौभाग्य की बात है कि संपर्ण दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा खजूरी खास से शुभारंभ होने के बाद दूसरे स्थान पर ओखला फेस एक के इंदिरा कल्याण विहार के रामलीला मैदान पहुंची। यहां पर मंगलवार को सांसद ने यात्रा

का स्वागत किया। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व उनका लाभ पहुंचाने के लिए मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खज़री खास से किया। फिर यह यात्रा दोपहर 2.30 बजे ओखला फेस एक इंदिरा कल्याण विहार के रामलीला मैदान पहंची।

यहां पर सांसद रमेश

बिधुडी ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान सांसद रमेश बिध्रडी नेतत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं शिविर आयोजित किए गए।

इनमें पीएम स्वनिधि योजना से रेहडी-पटरी वाले छोटी सडक विक्रेताओं के लिए लोन, स्वास्थ्य जांच, कुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण आहार वितरित सहित अन्य कैंप शामिल रहे।

तुगलकाबाद सांसद विधान सभा क्षेत्र विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गरीबों लिए हरकेश नगर और तेखंड में बरात घरों का निमार्ण कराया गया।

इसके अलावा सरिता विहार अंडरपास के कार्य को पूरा कराया गया। इससे दक्षिणी दिल्ली से नोएडा जाना आसान हुआ। इस दौरान दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विक्रम बिधुडी, जिला महामंत्री व संयोजक विकसित भारत संकल्प यात्रा बलबीर सिंह, जिला उपायुक्त दक्षिण-पूर्व ईशा खोसला, निगम उपायक्त मध्य क्षेत्र नवीन अग्रवाल मौजद रहे।

दैनिक जागरण

NAME OF NEWSPAPERS

नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2023

## आवासीय यूनिटों पर रेरा का आदेश वापस

आदेश में कहा था, प्लाट के किसी भी पलोर पर तय संख्या में ही कमरे बनाए जा सकेंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना की ओर से रेरा अध्यक्ष से भवन निर्माण



संबंधित से नए आदेश पर दोबारा विचार करने के अनुरोध कुछ

घंटों बाद रेरा ने अपना आदेश वापस ले लिया। रेरा सचिव सतीश कुमार छिकारा की ओर से मंगलवार की देर शाम पुराने आदेश की वापसी का नया आदेश भी लिखित रूप से जारी किया गया।

राजनिवास के मुताबिक रेरा की और से 19 सितंबर को जारी आदेश को लेकर एलजी को तमाम स्तर पर प्रतिवेदन और शिकायतें मिल रही थीं। इसमें सांसदों, विधायकों, नगर निगम पार्षदों से लेकर नागरिक संगठनों और आम लोगों तक की शिकायतें भी शामिल हैं। इसमें रेरा के आदेश के बाद संपत्ति की खरीद-फरोख्त में आ रहीं परेशानियों के बारे में एलजी अवगत कराया कराते हुए  एलजी ने रेरा अध्यक्ष के साथ मुलाकात में दिल्ली के लोगों को आ रही समस्याओं को रखा था

• रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी के सचिव की ओर से मंगलवार को जारी किया गया आदेश

मैंने पिछले सप्ताह दिल्ली के रेरा की सितंबर 2023 की अधिसवना को वापस लेने की मांग की थी। यह खेदजनक है कि पिछले 10 दिन के दौरान जब दिल्लीवासियों को संपत्ति पंजीकरण पर प्रतिबंध के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनता के आक्रोश पर ध्यान नहीं दिया, यह दर्शाता है कि वह जनता की भावनाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील है। इस मामले में हस्तक्षेप कर लोगों को राहत देने के लिए मैं उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार जताता हूं। -वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष दिल्ली भाजपा

समाधान की मांग की गई थी। इसी के मद्देनजर एलजी ने मंगलवार को रेरा अध्यक्ष और सदस्यों के साथ राजनिवास में मुलाकात की। इस दौरान मुख्य सचिव नरेश कुमार और मंडलायुक्त अश्विनी कुमार भी मौजद रहे। एलजी ने इस बैठक में कितने बड़े प्लाट पर कितनी

आवासाय यान	८ तय का या
प्लाट आकार (वर्ग मीटर)	आवासीय यूनिट
50 तक	तीन
51-100	चार
101-250	चार
251-750	पांच
751-1000	सास
1001-1500	सात

1501-2250

2251-3000

दिल्ली वासियों के समक्ष आ रहीं समस्याओं की जानकारी दी और आदेश के नतीजों पर व्यापक चर्चा की। गौरतलब है कि रियल एस्टेट रेगलेटरी अधारिटी (रेरा) ने 19 सितंबर को आदेश जारी किया था कि किसी प्लाट के किसी भी फ्लोर

दस

दस

पर तय संख्या में ही कमरे बनाए जा सकेंगे। आदेश में 50 वर्ग मीटर से लेकर 3750 या इससे भी बड़े आकार के प्लाटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय कर दी

आदेश में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2008 के एक आर्डर का हवाला भी दिया गया है और उसी के अनुसार अलग-अलग आकार के प्लाट पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय करने की बात कही गई।

रेरा ने दिल्ली कैंट बोर्ड, एमसीडी और डीडीए को भी इस संबंध में पत्र लिखा और आदेश के अनुसार ही बिल्डिंग प्लान जारी करने के लिए कहा। सभी सब-रजिस्ट्रार को भी रेरा ने पत्र लिखकर कहा कि 15 सितंबर के बाद किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उक्त आदेश अनुसार आवासीय इकाइयों को चेक कर ही किया जाए। प्लाट के आकार से अधिक आवासीय इकाइयां हैं. तो ऐसी संपत्ति का पंजीकरण नहीं किया जाए।

उचित निर्णय » संपादकीय

#### डीडीए प्रीमियम आवासीय योजना में होगा पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: डीडीए की नई और अभी तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होगी। इस चरण में कुल 1100 लग्जरी फ्लैट उपलब्ध होंगे। इसमें फ्लैट ई-नीलामी के जरिये ही आवंटित होंगे। अधिकारियों के मताबिक ई-नीलामी वाले फ्लैटॉ में एमआइजी, एचआइजी, सुपर एचआइजी और पेंट हाउस शामिल हैं। इनमें द्वारका सेक्टर-19 बी बने पेंटहाउस, एचआइजी, सुपर एचआइजी शामिल हैं। इनमें से कई फ्लैटों से गोल्फ व्य भी मिलेगा। द्वारका सेक्टर-14 में 316 एमआइजी एवं लोक नायक परम में 647 एमआइजी फ्लैट्स भी योजना का हिस्सा होंगे।

#### WWW.INDIANEXPRESS.COM WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023

#### **RERA** withdraws order banning registration of new property violating building norms

**EXPRESS NEWS SERVICE** NEW DELHI, NOVEMBER 28

THE REAL Estate Regulatory Authority has decided to withdraw its September order directing all sub-registrars in Delhi not to register any new property that does not conform to the Unified Building Bye Laws, 2016, Satish Kumar Chhikara, secretary, RERA, said on Tuesday. An order in this regard has been issued by RERA.

The development comes hours after L-G Vinai Kumar Saxena held a meeting at Raj

Niwas asking RERA and other officers concerned to review the order in light of complaints from several people who said they were facing problems in getting their land and flats registered following the RERA order.

The RERA had issued the said order on September 9.

Officials from L-G House said that over the past several days, Saxena has been receiving several complaints from public representatives, including MPs, MLAs and municipal councillors, along with Civil Society organisations regarding the registration of plots, flats and sale deeds, sale and purchase allegedly coming to a halt after the RERA order. Notably, with registration process at all the subregistrar offices practically coming to a stop for the last one week, revenue districts have only been registering DDA flats, plots, wills (wasiyat nama), rent agreements.

Registration of land and sale deeds is one of the main sources of revenue collection for the government. Its not only creating problems for public, especially middle- and lower-income groups, but for the government exchequer as well," an official said.

NAME OF NEWSPAPERS--

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023 .....DATED----

### RERA withdraws September order that stalled property registrations in capital

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Real Estate Regulatory Authority of Delhi has withdrawn its September 11 order that directed the sub-registrars in the national capital not to register the sale deeds of properties that contravened the building byelaws.

"Considering the various facts on record, the Authority has decided to withdraw its order of September 11, 2023 with immediate effect," the order issued by RERA secretary Satish Kumar Chhikara read.

The fresh order came hours after lieutenant governor VK Saxena held a meeting with RERA chairman and members to discuss the hardship faced by Delhiites due to the restrictions imposed by the order and impressed upon them to revisit the directions.

"The LG in the past one week received several representations and complaints from public representatives - MPs, MLAs and municipal councillors - civil society organisaRAJ NIWAS OFFICIAL SAYS

The LG in the past one week received several representations and complaints from public representatives, civil society organisations and general public about the problems being faced after the recent order of RERA regarding registration of sale deeds for properties being sold and bought

tions and general public about the problems being faced by people after the recent order of RERA regarding registration of sale deeds for properties being sold and bought," said a Raj Niwas official.

The LG today met the chairman and members of RERA along with the chief secretary and the divisional commissioner at Raj Niwas. He brought to their notice the acute problems and harassment being faced by the residents of Delhi and had wide ranging discussions regarding the repercussion of the said order. The LG impressed upon and requested the RERA to accordingly re-visit the said order in view of the hardship it is causing to com-mon people in Delhi," the official added.

In its September 11 order, which was received by sub-registrars of Delhi on November 17, RERA directed that the sale deed of properties that contravened the maximum number of dwelling units permitted on a certain plot size under the Unified Building Bye Laws for Delhi, 2016 (UBBL) should not be registered henceforth.

RERA also asked the civic bodies not to clear building plans that had more than the permissible number of dwelling units mandated by UBBL according to the plot size. RE-RA's order said that all building plans sanctioned by Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi Cantonment and Delhi Development Authority after September 15 should clearly indicate the total number of dwelling units being constructed and the number of dwelling units on each floor.

The order, said officials, had an immediate impact on sale and purchase of built-up properties in unauthorised, regularised, and planned localities. The 29 sub-registrars and joint sub-registrars refused to accept sale deeds from buyers for their registration and sought clarity from the divisional commissioner on the issue.

Though the order largely affected the transaction of builder flats and floors, sourcessaid the registration of sale deeds of all kinds of properties came to a screeching halt after the RERA order.

# एलजी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता।दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों

को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। एलजी ने विशेष रूप से डिजाइन की गई पांच आईईसी (सूचना, शिक्षा व संचार वैन को रवाना किया। यह दिल्ली के 11 जिलों में 600 से अधिक जगहों से गुजरेगी। यात्रा के दौरान पीएम स्वनिधि, मुद्रा ऋण, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल भूगतान क्रांति, पीएम ई-बस सेवा, आयुष्मान भारत, पीएम आवास

(शहरी), पीएम उज्ज्वला योजना जैसी केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरुकता फैलाई जाएगी।

यात्रा के उद्घाटन समारोह अवसर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, चांदनी चौक के सांसद हर्षवर्धन, पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिघूड़ी; करावल नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, घोंडा से विधायक अजय महावर उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, डीडीए उपाध्यक्ष सुभासीष पन्डा और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती उपस्थित रहे।



उपराज्यपाल ने मंगलवार को खजूरी खास में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ●प्रेट्र



TE NIEWICON DEDC

DATED-

'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सभी श्रेणी के आवासों के लिए 11 दिसंबर से बुकिंग शुरू

## डीडीए फ्लैटों के लिए चार हजार पंजीकरण

#### योजना

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई आवासीय योजना में अब तक चार हजार से अधिक आवेदनकर्ताओं ने पंजीकरण करा लिया है। द्वारका, लोकनायक पुरम और नरेला में 30 हजार से अधिक फ्लैट के लिए 24 नवंबर को पंजीकरण शुरू हुआ था।

आवेदनकर्ता ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी व एचआईजी एमैं के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर इन सभी श्रेणी के पलैटों के लिए 11 दिसंबर से बुकिंग शुरू होगी। आवेदनकर्ता अपनी प्राथमिकता के अनुसार फ्लैटों को बुक कर सकेंगे। इनमें ईडब्ल्यूएस के लिए 50 हजार रुपये, एलआईजी के लिए 1 लाख रुपये, एमआईजी के लिए 4 लाख रुपये और एचआईजी के लिए 10 लाख रुपये बुकिंग शुल्क देना होगा।

बुकिंग प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी: डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फ्लैटों की पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। आवेदनकर्ताओं को फ्लैटों से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी फ्लैटों की जगहों पर तैनात किए गए हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों के नंबर भी योजना से जुड़े ब्रोशर में उपलब्ध हैं। इन पर कॉल करके लोगों को फ्लैटों के संबंध में सभी तरह की जानकारी मिलेगी।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव से बदल रहा है नजरिया : नरेला के विभिन्न श्रेणी में हजारों फ्लैट 24 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों में खासा उत्साह 30 हजार से अधिक आवास नरेला, द्वारका, लोकनायक पुरम में आवंटित होंगे

#### निवेश के लिहाज से जोर दे रहे लोग

डीडीए ने नरेला के विभिन्न सेक्टरों में तीन कमरों के

एचआईजी के कुल 1,184 फ्लैट, दो कमरों के एमजीआई के कुल 1,976 पलैट, एक कमरे के एलजीआई के कुल 19,680 फ्लैट योजना में शामिल किए हैं। हालांकि, फ्लैटों का पंजीकरण कराने वाले आवेदनकर्ताओं की प्राथमिकता अब इन फ्लैटों को निवेश के लिहाज से खरीदने की है। इस संबंध में नरेला में फ्लैट देखने आ रहे लोगों ने फ्लैट की बुकिंग प्रक्रिया में शामिल होने की दिलवस्पी सिर्फ निवेश के तौर पर ही दिखाई है।

योजना में शामिल हैं। इसके बाद भी

यहां पर फ्लैट देखने आने वाले लोगों

ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और

सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की मांग

की है। मंगलवार को फ्लैट देखने आए

राजौरी गार्डन से सुनील सिंह ने कहा

कि डीडीए नरेला में हजारों फ्लैट

निकाल रहा है। फ्लैट के आसपास की



#### रेट पर विश्लेषण के लिए कंसलटेंट से बातचीत

डीडीए ने दिल्ली—एनसीआर में मौजूद विभिन्न श्रीणयों के पलैटों के रेट पर विश्लेषण करने के लिए एक कंसलटेंट नियुक्त किया है। इस कंसलटेंट से डीडीए के विश्व अधिकारी लगातार बातवीत कर रहे हैं। एनसीआर के शहरों में मौजूद पलैटों में मिलने वाली सुविधाओं पर कंसलटेंट ने रिपोर्ट तैयार की है। डीडीए इस रिपोर्ट पर अब अध्ययन कर रहा है। इस आधार पर विभिन्न पलैटों की कीमतें भी निधारित करने की योजना पर काम चल रहा है।

> सड़कों को बेहतर किया गया है। लेकिन पीतमपुरा, रोहिणी, बादली और बवाना के रास्ते से हुए जगह-जगह पर डीडीए के नरेला के फ्लैटों के बड़े बोर्ड नहीं लगे हैं। सिर्फ कुछ ही जगहों पर मौजूद हैं। यहां पर सार्वजनिक परिवहन

व्यवस्था पर बेहतर ढंग से ध्यान देने

की बहुत आवश्यकता है। मेट्रो के साथ

बस रूटों को भी बढ़ाना चाहिए। पुलिस चौकी बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए।

करना चाहए। डीडीए ने दिल्ली-एनसीआर में मौजूद विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के रेट पर विश्लेषण करने के लिए एक कंसलटेंट नियुक्त किया है। इस कंसलटेंट से डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं।एनसीआर के शहरों में मौजूद फ्लैटों में मिलने वाली सुविधाओं पर कंसलटेंट ने रिपोर्ट तैयार की है। डीडीए इस रिपोर्ट पर अब अध्ययन कर रहा है। इस आधार पर विभिन्न फ्लैटों की कीमतें भी निर्धारित करने की योजना पर काम चल रहा है।

#### द्वारका में 88 लाख रुपये तक नई कीमत तय

डीडीए ने एक कमरे के द्वारका सेक्टर-14 के फेज-2 स्थित एलआईजी फ्लैटों की कीमत 77 लाख से 88 लाख रुपये इस नई आवासीय योजना में निर्घारित की है। यहां पर 316 एलआईजी फ्लैट योजना में शामिल किए हैं। अब फ्लैट देखने आ रहे लोगों ने इसकी कीमत पर विचार करने के लिए कहा है। फ्लैट देखने आ रहे कई आवेदनकर्ताओं ने कहा कि द्वारका के इस सेक्टर में 88.16 से 100.02 वर्ग मीटर पर एक कमरे का एलआईजी फ्लैट 77 से 88 लाख रुपये में दिया जा रहा है, जबकि नरेला सेक्टर-जी 2 के पेंक्टि 1 से 6 में 7,913 फ्लैट का क्षेत्रफल 49.9 वर्ग मीटर है। इसकी कीमत 20.90 से 21 लाख रुपये है। साथ ही नरेला सेक्टर-जी 7 में पेंकेट 6,7 और 11 में कुल 11,767 फ्लैटों को 49.9 वर्ग मीटर में आवासीय योजना में जोड़ा गया है। इसकी कीमत 25.2 लाख रुपये है। ऐसे में द्वारका सेक्टर-14 में 88.16 से 100.02 वर्ग मीटर में दो कमरों के एमआईजी फ्लैटों का निर्माण करना चाहिए था। इस जंगह पर कुछ और वर्ग मीटर शामिल करते हुए अच्छे क्षेत्रफल में दो कमरों के फ्लैटों का सकता था।

#### विमिन्न श्रेणी में 22 हजार से ज्यादा आवास शामिल, सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की मांग

नरेला के विभिन्न श्रेणी में कुल 22,840 फ्लैट योजना में शामिल हैं। इसके बाद भी यहां पर फ्लैट देखने आने वाले लोगों ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। मंगलवार को फ्लैट देखने आए राजौरी गार्डन से राजेश सिंह ने कहा कि नरेला में डीडीए हजारों फ्लैट निकाल रहा है। फ्लैट के आसपास की सड़कों को बेहतर किया गया है, लेकिन पीतमपुरा, रोहिणी, बादली और बवाना के रास्ते से हुए जगह-जगह पर डीडीए के नरेला के फ्लैटों के बड़े बोर्ड नहीं लगे हैं। सिर्फ कुछ ही जगहों पर मौजूद हैं। यहां पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर बेहतर ढंग से ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मेट्रो के साथ बस रुटों को भी बढ़ाना चाहिए। पुलिस चौकी बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए।

#### डीडीए के कॉल सेंटर से लोन संबंधी जानकारी लें

डीडीए फ्लैटों के लिए आवेदन करने वालों को लोन से संबंधित जानकारी भी देगा। इस संबंध में डीडीए के कॉल सेंटर के नंबर 1800 110332 पर कॉल कर सकते हैं। डीडीए कमीं ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआई, एवआईजी जैसे फ्लैटों का पंजीकरण करने वाले को लोन के बारे में बताएंगे।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI N.E. WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023 Hindustan Times

### Saxena Kicks Off Viksit Bharat Sankalp Yatra

#### To Apprise Citizens Of Central Govt Schemes

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Tuesday flagged off the Viksit Bharat Sankalp Yatra in the presence of MPs and senior government officials in northeast Delhi.

The yatra, started about five months before the general elections, aims to educate people about schemes launched by the central government and how they can benefit from them.

During the Delhi campaign, which will cover over 600 locations in 11 districts, information, education and communication vans will travel to rural and urban areas to promote schemes such as the Pradhan Mantri Awas Yojana, Ujjwala Yojana, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Svanidhi Yojana and the Garib Kalyan Yojana, among others.

"The Centre has launched many welfare schemes to reach out to the general public as well as marginalised communities under the leadership of PM Narendra Modi. To disseminate information and create awareness about these initiatives and make them beneficiaries too, the PM launched the yatra on November 15 in Tharkhand, Now, we will promote these initiatives in Delhi, hold direct dialogue with people and help them get the benefits," the LG told the crowd at Khajoori Khas.

He said camps would be organised to reach out to people in far-flung areas. "People will be able to get their Aadhaar updated and get enrolled under schemes after submitting minimum documents...," the LG said. These camps will be organised by



FIVE MONTHS TO POLLS: LG VK Saxena with BJP MPs Harsh Vardhan and Manoj Tiwari during the inauguration of Viksit Bharat Sankalp Yatra at Garhi Mendu village in northeast Delhi on Tuesday

urban local bodies and the district administration.

The LG, along with MPs and senior officials, took a Viksit Bharat Sankalp pledge.

"As India is aiming to become a developed country by 2047, we want the common man to know how the government functions and how they can be associated and become a part in the development process," Manoj Tiwari, the MP from northeast Delhi, said.

"This yatra is an opportunity to bring people closer to government programmes. In 2014, when Narendra Modi took the oath as PM, India's economy was in the 14th position in the world and today it has jumped to the fifth place. The objective of the yatra is to not only disseminate information but also to learn from citizens' experiences," he said.

Highlighting the development work done in northeast Delhi, Tiwari said that the elevated crossing on the Pusta Road will become operational in February. "Earlier, we did not have a single central school in northeast Delhi, but now a building has been constructed

for one school which will become operational anytime soon and permission for three more schools has been granted. We are thankful to the DDA for allocating land for the project at a subsidised rate. The Yamuna riverfront has seen major rejuvenation with the efforts of the LG, who is frequently visiting the place. We have a passport office in Yamuna Vihar and efforts are on to make a proper station at the Saboli railway halting point," he said.

At the event, organised by Delhi Development Authority, kiosks of DDA, banks, postal department, UIDAI and the Union petroleum and natural gas ministry were set up, highlighting government schemes. DDA vice-chairman Subhasish Panda said the authority was making all effort to raise awareness through outreach.

A health awareness camp, in which certificates under Sunidhi Yojana was distributed, was held. NDMC vice-chairman Satish Upadhyay said: "The government aims to enhance progress for the underprivileged."

### Delhi LG, MPs, flag off Viksit Bharat yatra

**HT Correspondent** 

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi lieutenant governor (LG) VK Saxena on Tuesday flagged off the "Viksit Bharat Sankalp Yatra" to raise awareness about various welfare programmes launched by the Government of India, through outreach activities.

The national yatra was launched by Prime Minister Narendra Modi on November 15 from Khunti in Jharkhand on the occasion of Janjatiya Gaurav Divas, marking the birth anniversary of tribal icon Birsa Munda.

On Tuesday, Saxena was accompanied by members of Parliament (MPs) from Delhi—Harsh Vardhan (Chandni Chowk), Manoj Tiwari (North East Delhi), Ramesh Bidhuri (South Delhi) and Parvesh Verma (West Delhi)—as well as chief secretary Naresh Kumar.

Launching the yatra, the LG

said, "A number of welfare schemes, particularly those related to cleanliness, and employment generation, are being run by the Government of India. The Sankalp Yatra aims at raising awareness among the masses about these schemes and bringing maximum number of people, particularly those belonging to the weaker sections, under the ambit of these programmes."

The LG said that the camps will reach around 600 localities in the ll districts of Delhi.

Saxena also flagged off IEC (Information, Education and Communication) vans to disseminate information about the schemes. Kiosks of Delhi Development Authority (DDA), banks, postal department, UIDAI, Union Petroleum and Natural Gas ministry and postal department were also put up, highlighting various government schemes.



LG VK Saxena with Delhi MPs Harsh Vardhan and Manoj Tiwari at the launch of the sankalp yatra on Tuesday. SANCHT KHANNAHT PHOTO



नई दिल्ली | बुधवार, २९ नवंबर २०२३

-DATED-

શુમારંમ

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी

## भारत के समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास है संकल्प यात्राः उपराज्यपाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हुए 'विकसित भारत के सपने को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम है। यह बात दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने खजूरी खास में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि कई कल्याणकारी स्कीम, विशेष रूप से स्वच्छता, रोजगार सृजन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसी स्कीम हैं जो भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाई जा रही हैं। सक्सेना ने बताया कि संकल्प यात्रा

का लक्ष्य इन स्कीमों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना है और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकांश जनता, विशेषकर कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों का जनकल्याण करना है।' उन्होंने कहा कि इस अवसर पर, मैं भारत सरकार और दिल्ली सरकार की सभी एजेंसियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि वे जन कल्याण के कार्यों हेतु स्वयं को समर्पित करें तथा जनता से सीघा संवाद करें। दिल्ली के खजूरी खास इलाके से मंगलवार को विकसित भारत संकरूप यात्रा की शहआत हई। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी)



वीं के सक्सेना ने यात्रा का शुभारंभ हरीझंडी दिखाकर किया। इस दौरान स्थानीय सांसद मनोज तिवारी, सांसदरमेश निघूड़ी, प्रवेश वर्मा, डॉ. हर्षवर्धन, भाजपा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष विस मोहन सिंह निष्ट और काफी तादाद में अन्यकार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल लोगों को उपराज्यपाल ने भारत को विकस्तिराष्ट्र नाने की शपथ भी दिलाई। उपराज्यपाल सक्सेना ने यात्रा के शुभारंभ के बादकहा कि देश और दिल्ली के लोगों को इस यात्रा का लाभ मिलेगा।

#### विकसित भारत संकल्प की दिलाई शपथ

एलजी ने इस अदसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं आम जनता को विकसित भारतसंकल्प की शपथ भी दिलाई और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वेन को हरी झंडी दिखाई। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डातने के लिए डीडीए, बैंकों, डाकिमाग, यूआईडीएआई, केद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा डाक विभागके कियांस्क भी लगाए गए।

#### केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है: तिवारी

वही, सांसद मनोज तिवारी ने कहा किप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की थी। अब इस यात्रा कीशुरुआत दिल्ली में भी हो गई। यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तकपहुंचाना है। इस कार्यक्रम के तहत सुवना वाहन, कार्यकर्ताओं के समृह के माध्यम से देशभर के लोगों कोंक्ट सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और उनतक योजनाओं का लाभ पहुंचायाजाएगा। मनोज तिवारी ने बताया कि दिल्ली के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों से भी सुवनावाहन रवाना किया जाएगा।

#### विकसित भारत संकल्प यात्रा के उददेश्य

विवतों तक लाभ पहुंचाना-उन कमजोर व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है। योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाना और जागरुकता पैदा करना। नागरिकों से सीखना- व्यक्तिगत

कहानियाँ/अनुभवों को साझा करके सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करना।

यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन।

#### ऑन-स्पॉट कैंप आयोजित किए जाएंगे

पीएम-एसवीए निधि कैंप-सभी यूएलबी हैल्थ कैंप-सभी यूएलबी आधार अपडेशन कैंप-जिला कलेक्टर पीएम-उज्ज्वला कैंप-एलपीजी वितरण कंपनियां।

सरकार द्वारा उचित समय पर तय की गई कोई अन्य योजना ।



DATED

# RERA lifts ban on registration of property after meeting LG

PTI NEW DELHI

The Delhi Real Estate Regulatory Authority withdrewits September order directing sub registrars not to register properties in violation of building bylaws, hours after its top brass met Lt Governor V K Saxena on Tuesday, officials said.

Earlier in the day, Saxena met the chairman and members of Delhi RERA along with the chief secretary and divisional commissioner at Raj Niwas over the issue.

"The LG impressed upon and requested the RERA to revisit its order in view of the hardship it is causing to common people in Delhi," said a Raj Niwas official.

A fresh order issued by Delhi RERA secretary stated, "Considering the various facts on record, the Authority has decided to withdraw its order dated 11.09.2023 with immediate effect."

During the meeting with RERA chairman and members, the LG brought to their notice the



"acute problems and harassment" being faced by the residents of Delhi in a wide ranging discussion regarding the "repercussion of its order", the Raj Niwas official said.

The Delhi RERA had in its order on September 11 directed the sub registrars to refrain from registering additional dwelling units on a plot, constructed beyond the number of units permitted as per its size. It had also directed that all building plans sanctioned after September 15, 2023, must clearly indicate the total number of dwelling units that can be constructed on a plot with each

dwelling marked separately in the plan.

After the circulation of the Delhi RERA order, the sub registrars of revenue department stopped registration of properties, although senior government officers claimed no order to this effect was issued by the department.

The Raj Niwas official said that the LG had received representations and complaints from MPs, MLAs, municipal councillors, civil society organisations, as well as general public on the problems faced in registration of sale deeds for properties being sold and bought. Delhi BJP president Virendra Sachdeva who had earlier raised the issue welcomed withdrawal of the RERA order saying the LG has fulfilled the hopes of Delhiites by getting it revoked. The September order of Delhi RERA had stated that as per the Unified Building Bylaws, 2016, and the Supreme Court order of March 14, 2008, the number of dwelling units was fixed to just three in case of plots measuring up to 50 square metres

and four in case of plot sizes above 50-250 square metres.

The number of dwelling units of other plot sizes measuring up to 3,750 square metres and above were also fixed in the order.

The RERA also alleged in its order that such civic authorities as MCD, DDA, NDMC, and Delhi Cantonment Board were sanctioning building plans with additional dwelling units without kitchen, or built with pantry or store.

"The builders after sanction of building plans, convert pantries, and stores into kitchens and sell units as separate dwelling units, circumventing orders of the Hon'ble Supreme Court," the authority had charged in its order.

The Delhi RERA order had stated that as per the Unified Building Bylaws, 2016, and the Supreme Court order of March 14, 2008, the number of dwelling units was fixed to just three in case of plots measuring up to 50 square metre and four in case of plot sizes above 50-250 square metre.

29 नवम्बर • 2023

हेल्थ एवं स्वदेशी दवा वितरण शिविर का आयोजन नई दिल्ली । पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, दिल्ली मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन, डीडीए बागवानी खंड -3 समेत कई अन्य सामाजिक संगठनों के संयुक्त क्रवावधान में विकास पुरी स्थित गौरी शकर डोडीए पार्क में गुरुपर्व कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेगा हेल्य कैंप और स्वदेशी दवा वित्रण शिविर का आयोजन किया गया। कैंप की चीफ बहन रेनू अरोड़ा के अनुसार घर पर तैयार की गई औषधीय गुणों की खान एलोवेरा (घृत कुमारी) के पौधों की रोपाई विशेष रूप से अरोड़ा परिवार के नाम पर तैयार क्यारी में हुई। कार्यक्रम के संयोजक रागवेंद्र शुक्त के अनुसार पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों में यह परंपरा-सी

धीरे-धीरे बनने लगी है।



उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खज़री खास से मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी डांडी दिखाकर रवाना करते उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना।

## एलजी का रेरा से आदेश पर दोबारा विचार करने का आग्रह

के बाद शहर में संपत्तियों

का पंजीकरण रुक गया

**बर्ड दिल्ली (भाषा)।** उप-राज्यपाल वी के सक्सेना ने प्रदेश की रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) से अपने आदेश की फिर से समीक्षा करने का आग्रह किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद शहर में संपत्तियों का पंजीकरण रुक गया है। एलजी कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सक्सेना ने इस मुद्दें को सुलझाने के लिए मंगलवार को इस आदेशं के लागू होने

राज निवास में मुख्य सिवव और मंडलायुक्त के साथ दिल्ली रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की।राज निवास के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में आम लोगों को हो रही

परेशानी को देखते हुए उप-राज्यपाल ने रेरा से अपने आदेश पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। उप राज्यपाल ने रेरा के आदेश पर व्यापक चर्चों में दिल्ली के निवासियों को हो रही मंभीर समस्याओं और उत्पीड़न को उनके संज्ञान में लाया।

दिल्ली रेग ने 19 सितम्बर को अपने अदिश में उप पंजीयकों को निर्देश दिया था कि वे किसी भूखंड पर स्वीकृत इकाइयों की संख्या से अधिक निर्मित अतिरिक्त आवास इकाइयों का पंजीकरण करने से बचें ।इसने यह भी निर्देश दिया कि 15 सितंबर, 2023 के बाद स्वीकृत सभी भवन योजनाओं में एक भूखंड पर बनाई जा सकने वाली आवास इकाइयों की कुल संख्या को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और योजना में प्रत्येक आवास को अलग से चिह्नित किया जाना चाहिए।

रेरा के आदेश के बाद, राजस्व विभाग के उप पंजीयकों ने संपत्तियों का पंजीकरण बंद कर दिया। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि विभाग ने इस आशय का कोई आदेश जारी नहीं

किया था रिरा ने अपने आदेश में यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनंडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड जैसे नागरिक प्राधिकरण बिना रसोई के अतिरिक्त आवास इकाइयों के साथ या पेंट्री या स्टोर के साथ निर्माण योजनाओं को मंजूरी दे रहे थे।

### समाज के हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना यात्रा का उद्देश्य: एलजी

एलजी ने झंडी

दिखाकर रवाना की

संकल्प यात्रा

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खडे व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मंगलवार को विकसित भारत संकल्प

यात्रा शहरी आईसी वैन के एक को रवाना किया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खज़री खास से रवाना इस यात्रा के दौरान सांसद डा. हर्षवर्धन, मनोज

तिवारी, रमेश बिध्डी, प्रवेश साहिब सिंह समेत अन्य गण्यमान्यजन मौजूद थे। दरअसल प्रधानमंत्री ने देशव्यापी स्तर पर इस यात्रा की शुरुआत झारखंड के खुंटी से की थी।

यह यात्रा राजधानी के सभी 11 जिलों से कुल 600 स्थानों से गुजरेगी। इसका उद्देश्य केंद्र की पीएम स्वनिधि, मुद्रा ऋण, स्टैड अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल भुगतान क्रांति, पीएम ई-बस सेवा, आयुष्मान प्रभारत, प्रधानमंत्री आवास (शहरी), प्रधानमंत्री

उज्ज्वला योजना समेत अन्य केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना है। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में

समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस मौके पर उप-राज्यपाल ने

सभी को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में योजनाओं से संबाधित विभागों डीडीए, बैकों, डाक विभाग, यूआईडीएआई, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और डाक विभाग के क्योरक भी लगाए थे। क्योरक पर तैनात कर्मचारी लोगों को विस्तार के साथ योजनायों के बारे में जानकारी दे रहे थे। उप-राज्यपाल ने बताया कि सभी योजनाओं से संबंधित अलग-अलग बैन तैयार की गयी है।

millenniumpost

NAME OF NEWSPAPE

WEDNESDAY, 29 NOVEMBER, 2023 | NEW DELHI

### L-G Saxena flags off Viksit Bharat Sankalp Yatra in Delhi

#### **OUR CORRESPONDENT**

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor VK Saxena on Tuesday flagged off the Viksit Bharat Sankalp Yatra in the national capital from the Khajoori Khas area.

Prime Minister Narendra Modi had launched the nationwide programme from Khunti in Jharkhand to reach out to citizens who are eligible for various central schemes but have not benefitted so far.

The campaign to reach out to beneficiaries of the Centre's flagship programmes both in rural and urban areas will culminate on January 25 next year.

While addressing a gathering at the event, Saxena said this yatra is a major step towards fulfilling the dream of a "developed India" while promoting inclusive development.

'Under the leadership of the prime minister, a number of welfare schemes like Swachhata, Rojgaar Sagam Yojana, Ayushmaan Bharat, PM Awas Yojana, PM Gareeb Kalyan Yojana etc. are being run. The



L-G VK Saxena flags off Viksit Bharat Sankalp Yatra, in New Delhi on Tuesday PIC/NAVEEN SHARMA

purpose of this yatra is to take these schemes to every corner of the country and connect more and more people, particularly those belonging to the weaker sections, with these schemes, he said.

The yatra will pass through all 'gram panchayats, nagar panchayats and urban bodies', be said

'On this occasion, I would also urge all agencies and senior officials of the central and Delhi governments to dedicate themselves to the works of public welfare and establish direct communication with the public, the Lt Governor said.

He also administered a pledge - Viksit Bharat Sankalp - to all the dignitaries and people present on the occasion and flagged off IEC (Information, Education and Communication) vans to disseminate information about schemes, officials said. Kiosks of DDA, banks, postal department, UIDAI, union petroleum and natural gas ministry and postal department were also put up, highlighting various government schemes, they said.

#### Delhi min slams Centre over demolition of houses in slum cluster

#### **OUR CORRESPONDENT**

NEW DELHI: Delhi Urban Development Minister Saurabh Bharadwaj slammed the Centre on Tuesday over the demolition of houses at a slum cluster located between the Sunder Nursery and Delhi Public School, Mathura Road.

Bharadwaj alleged that through its Land And Development Office (LNDO) department, the Bharatiya Janata Party-led Centre took a "cruel stand" in the high court to demolish the slums and that the Delhi Development Authority (DDA) was "duty-bound to rehabilitate" the poor people before their houses were demolished.

The slum cluster, inhabited by about 1,000 to 1,500 people, most of whom work as ragpickers, street hawkers, domestic helps, labourers and small-scale traders, was demolished in a drive following a court order last week. 'According to the law, the central government's DDA was duty-bound to rehabilitate these poor people before the demolition of their homes.



Saurabh Bharadwai

#### 'No government can be as inhuman as the Centre'


Even though the high court had provided the relief in view of the Graded Response Action Plan-3, the Centre provided special permission to demolish their homes in the winter. It is shocking that the Centre did not think about these poor families, their children and the elderly, Bharadwaj said.

'No government can be as inhuman as the Centre. One can imagine the condition of these families, who will now have to live on the roads, without even a roof on their heads, the Aam Aadmi Party (AAP) leader added.


#### **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY** LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

I WEDNESDAY I NOVEMBER 29, 2023








DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India


Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023. Follow us on: 🚮 @ddaofficial Mofficial\_dda official\_dda official\_dda










STP, Park, Water Drainage Playground









#### **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY** LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

ब्धवार, 29 नवंबर 2023







पंजीकरण कल से आरंभ



वय्यार कोड रहेन क

पेंटहाउस, सुपर एचआईजी, एचआईजी द्वारका सेक्टर-19 बी एमआईजी द्वारका सेक्टर-14 एमआईजी लोकनायकप्रम

दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली 110023. हमें फॉलो करें: 🚮 @ddaofficial 🔣 official\_dda 🧔 official\_dda 💆 Official\_dda



🌓 फ्रीहोल्ड फ्लैट

**मि** लिफ्टों से सुसज्जित

